

हरियाणा सरकार

खान तथा भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मई, 2021

संख्या का०आ० 22/के०अ० 67/1957/धा० 15 तथा 23 ग/2021.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (संशोधन) नियम, 2021 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (3) में,—

(i) "25 प्रतिशत" अंक तथा शब्द के स्थान पर, "10 प्रतिशत" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण में, "125/- रूपए" तथा "156.25/- रूपए" अंकों, चिहनों तथा शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "110/- रूपए" तथा "121/- रूपए" अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 18 में, तीसरी पंक्ति में, "तो इसकी" शब्दों के स्थान पर, "तो पंजीकृत डाक और/या ई-मेल के माध्यम से जो पहले हो इसकी" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"20 (1) पट्टाधारी निम्नलिखित शर्त के अधधीन आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जो भी कारण हो, पट्टे का समर्पण कर सकता है कि पट्टाधारी ने,—

(i) पट्टे में सभी खनन कार्यवाही बन्द कर दी है;

(ii) पट्टा विलेख के अनुसार यथा अपेक्षित उत्पादन विवरणी प्रस्तुत कर दी है;

(iii) कलैण्डर मास, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की समाप्ति तक उक्त पट्टे के मद्दे सभी लम्बित देयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी से बेबाकी प्रमाण-पत्र (एन डी सी) प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(iv) आवेदन की प्रस्तुति के समय पर अप्रतिदेय फीस के रूप में लागू दर पर एक मास के अनिवार्य भाटक के समकक्ष राशि जमा करवा दी है :

परन्तु नदी तल खनन के मामले में, यदि पट्टे के समर्पण के लिए आवेदन प्रथम जून से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया है, तो पट्टा धारक आवेदन की प्रस्तुति के समय पर दो मास के अनिवार्य भाटक, जो लागू हो, के समकक्ष अप्रतिदेय फीस जमा कराने के लिए दायी होगा।

(2) पट्टे के किसी भाग क्षेत्र के समर्पण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण करने योग्य नहीं होगा।

(3) निदशक तीस दिन के भीतर समर्पण अनुरोध स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। यदि कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, तो समर्पण के लिए आवेदन, आवेदन की प्रस्तुति की तीस दिन की समाप्ति पर स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 22 में, उप-नियम (2) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर, "दस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 24 में, उप-नियम (1) में, "खनन संविदा के नवीकरण के लिए आवेदन को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि पर निर्णीत किया जाएगा:" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"खनन संविदा के नवीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार से सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के छह मास की अवधि के भीतर सरकार द्वारा निर्णीत किया जाएगा :"

7. उक्त नियमों में, नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"25 (1) संविदाकार निम्नलिखित शर्त के अधधीन आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जो भी कारण हो, संविदा का समर्पण कर सकता है कि संविदाकार ने :-

(i) संविदा में सभी खनन कार्यवाही बन्द कर दी है;

(ii) संविदा करार के अनुसार यथा अपेक्षित उत्पादन विवरणी प्रस्तुत कर दी है;

- (iii) कलैण्डर मास, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की समाप्ति तक कथित संविदा के मददे सभी लम्बित देयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी से बैबाकी प्रमाण-पत्र (एन डी सी) प्रस्तुत कर दिया है; तथा
- (iv) आवेदन की प्रस्तुति के समय पर अप्रतिदेय फीस के रूप में लागू दर पर एक मास की संविदा राशि के समकक्ष राशि जमा करवा दी है:

परन्तु नदी तल खनन संविदा के मामले में, यदि संविदा के समर्पण के लिए आवेदन प्रथम जून से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया है, तो संविदाकार आवेदन की प्रस्तुति के समय पर संविदा राशि जो लागू हो, के दो मास के समकक्ष अप्रतिदेय फीस जमा कराने के लिए दायी होगा।

(2) संविदा के किसी भाग क्षेत्र के समर्पण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण करने योग्य नहीं होगा।

(3) निदेशक तीस दिन के भीतर समर्पण अनुरोध स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। यदि कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, तो समर्पण के लिए आवेदन, आवेदन की प्रस्तुति के तीस दिन की समाप्ति पर स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 55 में, उप-नियम (3) में, खण्ड (viii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(ix) उच्चतम बोलीदाता/खनिज रियायत धारक, विभाग के उचित शीर्ष में या निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पक्ष में सावधि जमा की रसीद के रूप में राशि जमा करके “आरम्भिक बोली प्रतिभूति” या “प्रतिभूति की बकाया राशि या प्रतिभूति”, जैसी भी स्थिति हो, की राशि प्रस्तुत कर सकता है। सावधि जमा रसीद पट्टे/संविदा की अवधि से आगे छह मास की अवधि के लिए वैध होगी:

परन्तु जहां पूर्वोक्त “आरम्भिक बोली प्रतिभूति” या “प्रतिभूति की बकाया राशि” या “प्रतिभूति जमा” विभाग के उचित शीर्ष में राशि जमा करके प्रस्तुत की गई है, तो खनिज रियायत धारक को निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पक्ष में सावधि जमा रसीद के रूप में “आरम्भिक बोली प्रतिभूति” प्रस्तुत करके उसे बदलने के लिए निदेशक द्वारा अनुज्ञात किया जा सकता है। सावधि जमा रसीद पट्टे/संविदा/खनिज रियायत की अवधि से आगे छह मास की अवधि के लिए वैध होगी।”।

9. उक्त नियमों में, नियम 56 में,—

(i) उप-नियम (5) में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6) देय तिथि (तिथियों) पर ‘अनिवार्य भाटक/संविदा राशि/खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि’ में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी:

परन्तु यदि देय, देय तिथि के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”;

(iii) उप-नियम (12) में, —

(क) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नदी तल से खनिजों के खनन के लिए प्रदान की गई खनिज रियायत के मामले में किसी समय में किसी बिन्दु पर खनन पट्टा/संविदा/परमिट पर दिए गए क्षेत्र में रियायत धारक द्वारा निकाले गए तथा राशिकृत कुल खनिज अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।”।

10. उक्त नियमों में, नियम 63 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“63क. सरकार द्वारा किराए तथा प्रतिपूर्ति की राशि नियत करना.—

यदि जहां भू-स्वामी और खनिज रियायतधारक के बीच परस्पर समझौते के माध्य से कोई करार नहीं होता है, तो सरकार इन नियमों के अधीन खनन के लिए खनिज रियायत पर दिए गए क्षेत्र के लिए भूस्वामियों को खनिज रियायत धारकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले वार्षिक किराए तथा प्रतिपूर्ति की दर नियत तथा अधिसूचित कर सकती है।”।

11. उक्त नियमों में, नियम 64 में, —

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1) जहां किराए की दर के सम्बन्ध में भू-स्वामी तथा खनिज रियायत धारक के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से कोई करार नहीं होता है, तो खनिज रियायत धारक ऐसी भूमि/क्षेत्र के सम्बन्ध में किराए के रूप में कलक्टर दर के दो प्रतिशत के बराबर राशि या नियम 63 के अनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित दर, जो भी अधिक हो, पर भुगतान करने का प्रस्ताव देगा।”;

(ii) उप-नियम (3) में “प्रतिपूर्ति” शब्द के स्थान पर, “किराये” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (6) में, “आर तथा आर नीति के अधीन भुगतानयोग्य वार्षिकी की” शब्दों के स्थान पर, “उप-नियम (1) के अधीन यथा विहित या ऐसे क्षेत्र/भूमि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियत तथा अधिसूचित किराये, यदि कोई हो, की दर, जो भी उच्चतर हो” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

12. उक्त नियमों में, नियम 65 में, —

(i) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उन मामलों में जहां प्रतिपूर्ति की राशि नियम 63 के अधीन पक्षकारों के बीच परस्पर रूप से निश्चित नहीं की गई है, तो प्रतिपूर्ति की अनुमानित राशि, नदी तल खनन के मामले में कलक्टर दर की 0.5 प्रतिशत और/या अन्य मामलों (नदी तल खनन को छोड़कर) में कलक्टर दर की एक प्रतिशत की राशि या प्रतिपूर्ति की राशि की दर, जो नियम 63 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के बराबर होगी।

(ii) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) जहां कलक्टर द्वारा अवधारित अन्तिम प्रतिपूर्ति की राशि उप-नियम (2) के अनुसार पहले ही जमा प्रतिपूर्ति की अनुमानित राशि से अधिक निकाली जाती है, तो खनिज रियायत धारक, कलक्टर द्वारा मांग करने पर पन्द्रह दिन के भीतर प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि तुरन्त जमा करवाएगा :

परन्तु यदि अन्तिम प्रतिपूर्ति की राशि संविदाकार/पट्टाधारी द्वारा पहले ही जमा राशि से कम रह जाती है, तो अधिक राशि पन्द्रह दिन के भीतर उसे वापस की जाएगी।”।

13. उक्त नियमों में, नियम 71 में, उप-नियम (6) का लोप कर दिया जाएगा।

14. उक्त नियमों में, नियम 71-क का लोप कर दिया जाएगा।

15. उक्त नियमों में, नियम 77 में,—

(i) उप नियम (1) में “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप नियम (3) में “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “अठ्ठाई प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त नियमों में, नियम 81 में,—

(i) उप नियम (3) में,—

(क) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नदी तल से खनिजों के खनन के लिए प्रदान की गई खनिज रियायत के मामले में, किसी समय के किसी बिन्दु पर खनन पट्टा/संविदा/परमिट पर दिए गए क्षेत्र में रियायत धारक द्वारा निकाले गए तथा राशिकृत कुल खनिज अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।”;

(ख) उप नियम (5) में,—

(i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु बालू, धुलाई संयन्त्र या स्क्रीनिंग संयन्त्र को दिए गए समय के किसी बिन्दु पर कथित परिसर में स्टॉक नहीं की जाएगी, कच्चे खनिज तथा प्रसंस्कृत संचय इकाई की स्थापित प्रसंस्करण क्षमता के तीस दिन से अधिक के समकक्ष इकट्ठे रखे जाएंगे।”।

17. उक्त नियमों में, नियम 82 में, उप-नियम (1) में,—

(क) खण्ड (i) में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “;” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु कच्चे खनिज/अप्रसंस्कृत खनिजों के लिए ऐसे खनिज जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है, के स्रोत के स्थान से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई भी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।”;

(ख) खण्ड (iii) में,—

- (i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु बालू धुलाई या स्क्रीनिंग संयंत्र के मामले में अनुज्ञप्ति हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना के लिए निराक्षेप प्रमाण-पत्र/ सहमति रखने वाले आवेदक को प्रदान की जाएगी।”।

18. उक्त नियमों में, नियम 101 में,—

- (i) उप-नियम (5) में, “104” अंकों के स्थान पर, “102” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) उप-नियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(7क) जहां वाहन में लदा हुआ खनिज, खनिज परिवहन पास में अभिलिखित खनिज भार से अधिक पाया जाता है, तो ऐसे अधिक खनिज के परिवहन को वैध खनिज परिवहन पास के बिना खनिज के परिवहन के रूप में समझा जाएगा तथा खनिज की ऐसी मात्रा को गैर कानूनी रूप से प्राप्त करके वहन/परिवहन करने के रूप में अर्थ लगाया जाएगा तथा इन नियमों के नियम 102 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।”;

(iii) उप-नियम (8) में, “104” अंकों के स्थान पर, “102” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

19. उक्त नियमों में, नियम 118 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“118 क. नियमों में ढील देना.— सरकार लोक हित में किन्हीं देयों या किसी अन्य राशि को माफ करने के लिए उचित स्कीम बना सकती है या लिखित में अभिलिखित कारणों से इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उपयुक्तता में ढील दे सकती है:

परन्तु उपरोक्त ढील नियम 118 के अधीन के सिवाए खनिज रियायत देने में नहीं दी जाएगी।”।

20. उक्त नियमों में, प्ररूप एम एल - I में,—

(i) भाग II में, खण्ड -7 में,—

- (क) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु नदी तल से खनिजों के खनन के लिए प्रदान किए गए पट्टे के मामले में किसी समय में किसी बिन्दु पर खनन पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में पट्टाधारी द्वारा निकाले गए तथा राशिकृत कुल खनिज अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।”;

(ii) भाग III में, खण्ड 3 में, उपखण्ड (ख) में,—

- (क) “25 प्रतिशत” अंकों तथा शब्द के स्थान पर, “10 प्रतिशत” अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) व्याख्या में, “125/- रुपये” तथा “156.25/- रुपये” अंकों, चिह्न तथा शब्दों के स्थान पर, क्रमशः “110/- रुपये” तथा “121/- रुपये” अंक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खण्ड 6 में, “10 प्रतिशत” अंकों तथा शब्द के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) खण्ड 7 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“7. देय तिथि (तिथियों) पर ‘अनिवार्य भाटक/राजशुल्क खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि’ में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी :

परन्तु यदि देय, देय तिथि के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”;

(v) खण्ड 28 में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) भाग V में, खण्ड 7 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7. पट्टा का समर्पण.—

पट्टाधारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जो भी कारण हो, पट्टे का समर्पण कर सकता है कि पट्टाधारी ने,—

- (i) पट्टे में सभी खनन कार्यवाही बन्द कर दी है;
- (ii) पट्टा विलेख के अनुसार यथा अपेक्षित उत्पादन विवरणी प्रस्तुत कर दी है;
- (iii) कलेण्डर मास, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की समाप्ति तक उक्त पट्टे के मददे सभी लम्बित देयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी से बैबाकी प्रमाण-पत्र (एन डी सी) प्रस्तुत कर दिया है; तथा
- (iv) आवेदन की प्रस्तुति के समय पर अप्रतिदेय फीस के रूप में लागू दर पर एक मास के अनिवार्य भाटक के समकक्ष राशि जमा करवा दी है:

परन्तु नदी तल खनन के मामले में, यदि पट्टे के समर्पण के लिए आवेदन प्रथम जून से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया है, तो पट्टाधारी आवेदन की प्रस्तुति के समय पर दो मास के अनिवार्य भाटक, जो लागू हो, के समकक्ष अप्रतिदेय फीस जमा कराने के लिए दायी होगा;

- (v) पट्टे के किसी भाग क्षेत्र के समर्पण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण करने योग्य नहीं होगा;
- (vi) निदेशक तीस दिन के भीतर समर्पण अनुरोध स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। यदि कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, तो समर्पण के लिए आवेदन, आवेदन की प्रस्तुति की तीस दिन की समाप्ति पर स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।”।

21. उक्त नियमों में, प्ररूप एम सी-1 में, —

(i) भाग II में, खण्ड-7 में,—

- (क) अन्त में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नदी तल से खनिजों के खनन के लिए प्रदान की गई संविदा के मामले में किसी समय में किसी बिन्दु पर खनन संविदा पर दिए गए क्षेत्र में संविदाकार द्वारा निकाले गए तथा राशिकृत कुल खनिज अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।”;

(ii) भाग III में,—

(क) खण्ड-1 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“1. तल किराया :

संविदाकार नियम 62 के अनुसार उस द्वारा अधिभोग तल क्षेत्र के लिए किराया का भुगतान करेगा।”;

(ख) खण्ड 1 के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1क संविदा राशि :

..... रुपये प्रति वर्ष की दर पर प्रतियोगी बोली/नीलामी में प्राप्त की गई उच्चतर बोली संविदाकार द्वारा भुगतान योग्य राशि ‘वार्षिक परमिट राशि’ बन जाएगी। प्रतियोगी बोली/नीलामी के आधार पर प्रारम्भिक रूप से अवधारित वार्षिक संविदा राशि की दर प्रत्येक तीन वर्ष के ब्लाक के पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाई जाएगी।

व्याख्या:— यदि वार्षिक संविदा राशि की प्रारम्भिक अवधारित राशि 100/—रुपये है, तो यह चौथे वर्ष के प्रारम्भ के साथ 110/— रुपये तथा सातवें वर्ष के प्रारम्भ के साथ 121/— रुपये तक बढ़ा दी जाएगी तथा अगले प्रत्येक तीन वर्ष के ब्लाक के लिए इसी प्रकार बढ़ाई जाएगी।”;

(ग) खण्ड 4 में, “10 प्रतिशत” अंक तथा शब्द के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) खण्ड 5 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5. देय तिथि (तिथियों) पर संविदा राशि/राजशुल्क/खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी:

परन्तु यदि देय, देय तिथि (तिथियों) के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”;

- (ड.) खण्ड 26 में, “10 प्रतिशत” अंक तथा शब्द के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) भाग V में, खण्ड 7 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “7 संविदाकार निम्नलिखित शर्त के अध्यक्षीन आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जो भी कारण हो, संविदा का समर्पण कर सकता है कि संविदाकार ने, -
- (i) संविदा में सभी खनन कार्यवाही बन्द कर दी है;
- (ii) संविदा करार के अनुसार यथा अपेक्षित उत्पादन विवरणी प्रस्तुत कर दी है;
- (iii) कलैण्डर मास, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की समाप्ति तक कथित संविदा के मद्दे सभी लम्बित देयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी से बेबाकी प्रमाण-पत्र (एन डी सी) प्रस्तुत कर दिया है; तथा
- (iv) आवेदन की प्रस्तुति के समय पर अप्रतिदेय फीस के रूप में लागू दर पर एक मास की संविदा राशि के समकक्ष राशि जमा करवा दी है:
- परन्तु नदी तल खनन संविदाकार के मामले में, यदि संविदा के समर्पण के लिए आवेदन प्रथम जून से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया है, तो संविदाकार आवेदन की प्रस्तुति के समय पर संविदा राशि जो लागू हो, के दो मास के समकक्ष अप्रतिदेय फीस जमा कराने के लिए दायी होगा;
- (v) संविदा के किसी भाग क्षेत्र के समर्पण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण करने योग्य नहीं होगा;
- (vi) निदेशक तीस दिन के भीतर समर्पण अनुरोध स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। यदि कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, तो समर्पण के लिए आवेदन, आवेदन की प्रस्तुति की तीस दिन की समाप्ति पर स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।”।

22. उक्त नियमों में, प्ररूप एम पी एस-1 में, -

- (i) भाग II में, खण्ड-7 में-
- (क) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा,;
- (ख) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “परन्तु नदी तल से खनिजों के खनन किए गए परमिट के मामले में, किसी समय में किसी बिन्दु पर खनन संविदा पर दिए गए क्षेत्र में संविदाकार द्वारा निकाले गए तथा राशिकृत कुल खनिज अनुमोदित खनन योजना के अनुसार औसत मासिक उत्पादन के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।”;
- (ii) भाग III में,-
- (क) खण्ड -1 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “1. तल किराया :
- परमिट धारक नियम 62 के अनुसार उस द्वारा अधिभोग तल क्षेत्र के लिए किराए का भुगतान करेगा”;
- (ख) खण्ड 1 के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- “1क. परमिट राशि :
-रूपये वार्षिक दर पर प्रतियोगी बोली नीलामी में प्राप्त की गई उच्चतर बोली संविदाकार द्वारा भुगतानयोग्य राशि वार्षिक संविदा राशि बन जाएगी। प्रतियोगी बोली/नीलामी के आधार पर प्रारम्भिक रूप से अवधारित वार्षिक परमिट राशि की दर प्रत्येक तीन वर्ष के ब्लाक के पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाई जाएगी।
- व्याख्या :-** यदि वार्षिक परमिट राशि भी प्रारम्भिक अवधारित राशि 100/- रूपये है, तो यह चौथे वर्ष के प्रारम्भ के साथ 110/- रूपये तथा सातवें वर्ष के प्रारम्भ के साथ 121/- रूपये तक बढ़ा दी जाएगी तथा अगले प्रत्येक तीन वर्ष के ब्लाक के लिए इसी प्रकार बढ़ाई जाएगी।”;
- (iii) खण्ड 4 में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) खण्ड 5 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5, देय तिथि (तिथियों) पर परमिट राशि/राजशुल्क/‘खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि’ में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी :

परन्तु यदि देय, देय तिथि के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”;

(v) खण्ड 25 में, “10 प्रतिशत” अंक तथा शब्द के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) भाग V में, खण्ड 7 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“7. खनन परमिट का समर्पण:

परमिटधारक निम्नलिखित शर्त के अध्यक्षीन आवेदन प्रस्तुत करते हुए, जो भी कारण हो, संविदा का समर्पण कर सकता है कि संविदाकार ने :-

- (i) परमिट में सभी खनन कार्यवाही बन्द कर दी है;
- (ii) परमिट करार के अनुसार यथा अपेक्षित उत्पादन विवरणी प्रस्तुत कर दी है;
- (iii) कलैण्डर मास, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है, की समाप्ति तक कथित परमिट के मददे सभी लम्बित देयों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी से बैबाकी प्रमाण-पत्र (एन डी सी) प्रस्तुत कर दिया है; तथा
- (iv) आवेदन की प्रस्तुति के समय पर अप्रतिदेय फीस के रूप में लागू दर पर एक मास की परमिट राशि के समकक्ष राशि जमा करवा दी है:

परन्तु नदी तल खनन परमिट के मामले में, यदि संविदा के समर्पण के लिए आवेदन प्रथम जून से 15 सितम्बर तक की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया है, तो संविदाकार आवेदन की प्रस्तुति के समय पर दो मास की संविदा राशि, जो लागू हो, के समकक्ष अप्रतिदेय फीस जमा कराने के लिए दायी होगा;

- (v) परमिट के भाग क्षेत्र के समर्पण के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण करने योग्य नहीं होगा;
- (vi) निदेशक तीस दिन के भीतर समर्पण अनुरोध स्वीकार करने का आदेश पारित करेगा। यदि कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाता है, तो समर्पण के लिए आवेदन, आवेदन की प्रस्तुति के तीस दिन की समाप्ति पर स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।”।

23. उक्त नियमों में, प्ररूप एम पी एस-2 में, खण्ड 3 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3, देय तिथि (तिथियों) पर परमिट राशि/‘खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि’ में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी :

परन्तु यदि देय, देय तिथियों के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”।

24. उक्त नियमों में, प्ररूप पी आई एम-2 में, खण्ड 9 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“9 राजशुल्क की वार्षिक राशि प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल तक अग्रिम में भुगतान की जाएगी। देय तिथि (तिथियों) पर परमिट राशि, ‘खान और खनिज विकास पुनः स्थापन तथा पुनर्वास निधि’ में अंशदान की किस्तों के भुगतान में किसी चूक की दशा में राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित भुगतानयोग्य होगी:

परन्तु यदि देय, देय तिथि के सात दिन के भीतर भुगतान किए जाते हैं, तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।”।

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खान तथा भूविज्ञान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 3rd May, 2021

No. S.O. 22/C.A. 67/1957/Ss. 15 and 23C/2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 and section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012, namely: —

1. (1) These rules may be called the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (3),—

(i) for the figure and sign “25%”, the figure and sign “10%” shall be substituted;

(ii) in the Explanation, for the word, figure and sign “Rs. 125/-” and “Rs.156.25”, the word, figure and sign “Rs. 110/-” and “Rs.121/-” shall respectively be substituted.

3. In the said rules, in rule 18, after the word “thereof” existing at the end, the following words and sign shall be added, namely “through Registered post and /or e-mail, whichever is earlier”.

4. In the said rules, for rule 20, the following rules shall be substituted, namely:-

“20 (1). A lease holder may seek surrender of lease, for whatsoever reasons, by submitting an application subject to the condition that the lessee:-

(i) has stopped all mining operations in the lease;

(ii) has furnished production returns as required in terms of the lease deed;

(iii) has submitted the No Dues Certificate (NDC) from the officer-in-charge of the district concerned with regards to all pending dues on account of the said lease, till the end of calendar month in which application is submitted; and

(iv) has deposited an amount equal to one-month dead rent at the rate as may be applicable as non-refundable fee, at the time of submission of application:

Provided that in case of riverbed mining, if the application for surrender of lease is submitted during the period from 1st June to 15th September, then the lease holder shall be liable to deposit the non-refundable fee equal to two months of dead rent as may be applicable, at the time of submission of application.

(2) No application for surrenders of part area of the lease shall be maintainable.

(3) The Director shall pass an order accepting the surrender request within thirty days. In case no decision is communicated, the application for surrender shall be deemed to have been accepted on expiry of thirty days of submission of application.”.

5. In said rules, in rule 22 in sub-rule (2), for the words “twenty five” the word “ten” shall be substituted.

6. In said rules, in rule 24 in sub-rule (1), for words “The application for renewal of a mining contract shall be decided on satisfaction of the competent authority with regard to the following” the words “An application for renewal of a mining contract shall be decided by the Government within a period of six months of the receipt of complete application in all respects keeping in view the following parameters” shall be substituted.

7. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:-

“25(1). The contractor may seek surrender of contract for whatsoever reasons, by submitting an application subject to the condition that the contractor:

(i) has stopped all mining operations in the contract;

(ii) has furnished production returns as required in terms of the contract agreement;

(iii) has submitted the No Dues Certificate (NDC) from the officer-in-charge of the district concerned with regards to all pending dues on account of the said contract, till the end of calendar month in which application is submitted; and

- (iv) has deposited an amount equal to one-month contract money at the rate as may be applicable, at the time of submission of application as non-refundable fee:
- Provided that in case of riverbed mining contractor, if the application for surrender of contract is submitted during the period from 1st June to 15th September, then the contractor shall be liable to deposit the non-refundable fee equal to two months of contract money as may be applicable, at the time of submission of application.
- (2) No application for surrenders of part area of the contract shall be maintainable.
- (3) The Director shall pass orders accepting the surrender request within thirty days. In case no decision is communicated the application for surrender shall be deemed to have been accepted on expiry of thirty days of submission of application.
- 8.** In the said rules, in rule 55, in sub-rule (3), after clause (viii), the following clause shall be added, namely:-
- “(ix) The highest bidder/ mineral concession holder may furnish the amount of ‘Initial bid security’ or ‘balance amount of security or security deposit’, as the case may be, by depositing the amount in the appropriate head of the department or in the form of a Fixed Deposit Receipt in favour of the Director or any officer authorised in this behalf. The Fixed Deposit Receipt shall be valid for a period of six months beyond the period of lease/ contract:
- Provided that where the aforesaid ‘Initial bid security’ or ‘balance amount of security’ or ‘security deposit’ is submitted by depositing the amount in the appropriate head of the department, the mineral concession holder may be allowed by the Director, to replace the same by furnishing the “Initial bid security” in the form of a Fixed Deposit Receipt in favour of the Director or any officer authorised in this behalf. The Fixed Deposit Receipt shall be valid for a period of six months beyond the period of lease/ contract/mineral concession.”
- 9.** In the said rules, in rule 56,-
- (i) in the sub-rule (5), for the words “ten percent”, the words “seven and a half percent” shall be substituted.
- (ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(6) In case of any default in payment of the instalments of dead rent/ contract money/ contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount would be payable along with interest at the rate of 12 % per annum:
- Provided that in case the dues are paid within 7 days of the due date no interest shall be charged.”
- (iii) in sub-rule (12),-
- (a) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
- (b) the following proviso shall be inserted, namely:-
- “Provided that in case of mineral concession granted for mining of minerals from the riverbed, total mineral excavated and stacked by the concession holder within the area granted on mining lease/ contract/ permit at any point in time shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan.
- 10.** In the said rules, after rule 63, following rule shall be inserted, namely:-
- “63A. **Fixation of annual rent and compensation by Government.**— In case where no agreement is reached by way of mutual settlement between land owner and mineral concession holder, the Government may fix and notify the rate of annual rent and compensation, to be paid by the mineral concession holders to the landowners for area granted on mineral concession for mining under these rules.”.
- 11.** In the said rules, in rule 64,-
- (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(1) Where no agreement is reached by way of mutual settlement between the landowner and the mineral concession holder regarding the rate of rent, the mineral concession holder shall offer to pay an amount equal to two percent of the Collector rate or at such rate as may be notified by the Government as per rule 63A in respect of such land /area, whichever is higher, as rent.”
- (ii) in sub-rule (3), for the word “compensation”, the word “rent” shall be substituted.
- (iii) in sub-rule (6), for the words and sign “of annuity payable under the R&R Policy” the words and sign “as prescribed under sub-rule (1) or rate of rent fixed and notified, if any, by the Government in respect of such area/ land, whichever is higher”, shall be substituted.

- 12.** In the said rules, in rule 65,-
- (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: - "In cases where the amount of compensation is not mutually settled between the parties under rule 63, the tentative amount of compensation shall be equal to an amount 0.5 % of the collector rate in case of riverbed mining and/ or 1% of collector rate in all other cases (except Riverbed mining) or at the rate of an amount of compensation, as notified by the Government under rule 63 A, whichever is higher."
 - (ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 "(6) Where the amount of final compensation determined by the Collector works out to be more than the tentative amount of compensation already deposited as per sub-rule (2), the mineral concession holder shall deposit immediately on demand by the Collector, the additional amount of compensation within fifteen days:
 Provided that in case the amount of final compensation works out to be less than the amount already deposited by the contractor/ lessee, the excess amount shall be refunded to him within fifteen days."
- 13.** In the said rules, in rule 71, sub-rule 6 shall be omitted.
- 14.** In the said rules, rule 71-A shall be omitted.
- 15.** In the said rules, in rule 77, in sub-rule (1),
- (i) for the words "ten percent" the words "seven and half percent" shall be substituted.
 - (ii) in sub-rule (3), for the word "five percent", the words "two and half percent" shall be substituted.
- 16.** In the said rules, in rule 81,-
- (i) in sub-rule (3) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-
 "Provided that in case of mineral concession granted for mining of minerals from riverbed, total mineral excavated and stacked by the concession holder within the area granted on mining lease/ contract/ permit shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan at any point in time."
 - (iii) in sub-rule (5),-
 - (a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (b) the following proviso shall be added, namely:-
 "Provided that no sand washing plant or screening plant shall stock, within the said premises at any given point of time, the raw mineral and processed aggregate put together which is equal to more than thirty days installed processing capacity of the unit."
- 17.** In the said rules, in rule 82 in sub-rule (1),-
- (a) in clause (i),-
 - (i) for the sign ";" existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be added, namely:-
 "Provided that for raw mineral/ unprocessed mineral, no licences shall be granted within a distance of five kilometre from the site of source of such mineral for which licence is sought."
 - (b) in clause (iii),- for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-
 "Provided that in case of a sand washing or a screening plant, licence shall be granted to the applicant having NOC/ Consent to Establish from the Haryana State Pollution Control Board."
- 18.** In the said rules, in rule 101,-
- (i) in sub-rule (5), for figure '104' the figure '102', shall be substituted.
 - (ii) after sub-rule (7) the following sub-rule shall be added, namely:-
 "(7A) Where the mineral loaded in the carrier is found to be more than mineral weight recorded in the mineral transit pass transportation of such excess mineral shall be treated as transportation of mineral without a valid mineral transit pass and shall be construed to be carrying/ transporting the such quantity of mineral illegally obtained and shall be liable for action under rule 102 of these rules."
 - (iii) In sub-rule (8), for the figure '104', the figure '102' shall be substituted.

19. In the said rules, after rule 118, the following rule shall be inserted, namely:-

“118A. Relaxation of rules:- The Government may make an appropriate scheme for waiving off any dues or any other amount in public interest or may relax the applicability of any of the provision of these rules by recording reason in writing:

Provided that above relaxation shall not be given for granting mineral concession except as under rule 118.”.

20. In the said rules, in Form ML-1,-

(i) in Part II, in clause 7,-

(a) for the sign “.” existing at the end the sign “:” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that in case of lease granted for mining of minerals from the riverbed, total mineral excavated and stacked by the lease holder, within the area granted on mining lease, at any point in time shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan.”.

(ii) in part III, in clause 3, in sub clause (b),-

(a) for the word and sign “25%”, the word and sign “10%” shall be substituted;

(b) in the Explanation, the word and sign “Rs.125/-” and “Rs.156.25”, the word and sign “Rs. 110/-” and “Rs.121/-” shall be substituted respectively;

(iii) in Part III, in clause 6, for the word and sign “10%”, the word and sign “7.5%” shall be substitute;

(iv) in Part III, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

“In case of any default in payment of the instalments of dead rent /royalty/ contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount shall be payable along with interest at the rate of twelve percent per annum:

Provided that in case the dues are paid within seven days of the due date(s) no interest shall be charged.”.

(v) in clause 28, for the word and sign “10%”, the word and sign “7.5%” shall be substituted.

(vi) in Part V, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

“7. Surrender of mining lease.-

The lessee may seek surrender of lease, for whatsoever reasons, by submitting an application subject to the condition that the lessee:-

(i) has stopped all mining operations in the lease;

(ii) has furnished production returns as required in terms of the lease deed;

(iii) has submitted the No Dues Certificate (NDC) from the officer-in-charge of the district concerned with regard to all pending dues on account of the said lease, till the end of calendar month in which application is submitted; and

(iv) has deposited an amount equal to one-month dead rent at the rate as may be applicable, at the time of submission of application as non-refundable fee:

Provided that in case of riverbed mining, if the application for surrender of lease is submitted during the period from 1st June to 15th September, then the lease holder shall be liable to deposit the non-refundable fee equal to two months of dead rent as may be applicable, at the time of submission of application.

(v) No application for surrender of part area of the lease shall be maintainable.

(vi) the Director shall pass orders accepting the surrender request within thirty days. In case no decision is communicated the application for surrender shall be deemed to have been accepted on expiry of thirty days of submission of application.”.

21. In the said rules, in Form MC-1,-

(i) in Part II, in clause 7,-

- (a) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted;
- (b) The following proviso shall be added, namely:-

“Provided that in case of contract granted for mining of minerals from the riverbed, total mineral excavated and stacked by the contractor, within the area granted on mining contract, at any point in time shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan.”.

(ii) in Part III,

(a) for clause 1, the following clause shall be substituted, namely:-

“1. Surface rent:

The contractor shall pay rent for the surface area occupied by him as per rule 62.”

(b) after clause 1, following clause shall be inserted, namely:-

“1A. Contract money:

The highest bid received in the competitive bidding/auction at the rate of Rs..... per annum shall become the ‘annual contract money’ amount payable by the contractor. The rate of annual contract money initially determined on the basis of the competitive bids/auctions shall be increased @ 10% on completion of each block of three years.

Explanation.— If the initially determined amount of annual contract money is Rs. 100/-, it shall be increased to Rs. 110/- with the commencement of the fourth year and to Rs. 121/- with the commencement of the 7th year and so on and so forth for the next each block of three years.”

(c) in clause 4, the word and sign “10%”, the word and sign “7.5%” shall be substituted.

(d) for clause 5, the following clause shall be substituted, namely:-

“5. In case of any default in payment of the instalments of the contract money/royalty/contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount would be payable along with interest at the rate of 12 percent per annum:

Provided that in case the dues are paid within 7 days of the due date(s) no interest shall be charged.”.

(e) in clause 26, the word and sign “10%” the word and sign “7.5%” shall be substituted;

(iii) in Part V, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

“7. The contractor may seek surrender of contract for whatsoever reasons, by submitting an application subject to the condition that the contractor:

- (i) has stopped all mining operations in the contract;
- (ii) has furnished production returns as required in terms of the contract agreement;
- (iii) has submitted the No Dues Certificate (NDC) from the officer-in-charge of the district concerned with regard to all pending dues on account of the said contract, till the end of calendar month in which application is submitted; and
- (iv) has deposited an amount equal to one-month contract money at the rate as may be applicable, at the time of submission of application as non-refundable fee:

Provided that in case of riverbed mining contractor, if the application for surrender of contract is submitted during the period from 1st June to 15th September, then the contractor shall be liable to deposit the non-refundable fee equal to two months of contract money as may be applicable, at the time of submission of application.

(v) No application for surrenders of part area of the contract shall be maintainable;

(vi) The Director shall pass orders accepting the surrender request within thirty days. In case no decision is communicated the application for surrender shall be deemed to have been accepted on expiry of thirty days of submission of application.”.

22. In the said rules, in Form MPS-1,—

(i) in Part II, in clause 7,—

- (a) for the sign “.” existing at the end, the sign”.” shall be substituted;
 (b) The following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in case of permit granted for mining of minerals from the riverbed, total mineral excavated and stacked by the contractor, within the area granted on mining permit, at any point in time shall not exceed three times of the average monthly production as per approved mining plan.”

(ii) in Part III,

(a) for clause 1, the following clause shall be substituted, namely:—

“1. Surface rent:

The permit holder shall pay rent for the surface area occupied by him as per rule 62.”

(b) after clause 1, the following clause shall be substituted, namely:—

“1A. Permit money:

The highest bid received in the competitive bidding/auction at the rate of Rs. per annum shall become the ‘annual permit money’ amount payable by the contractor. The rate of annual permit money initially determined on the basis of competitive bids/auctions shall be increased @ 10% on completion on each block of three years.

Explanation.— If the initially determined amount of annual permit money is Rs.100/–, it shall be increased to Rs. 110/- with the commencement of the fourth year and to Rs. 121/- with the commencement of the 7th year and so on and so forth for the next each block of three years.”

(iii) in clause 4, the word and sign “10%”, the word and sign “7.5%” shall be substituted;

(iv) for clause 5, the following clause shall be substituted, namely:—

Interest on delayed payment:

“5. In case of any default in payment of the instalments of permit money/royalty contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount would be payable along with interest at the rate of 12 percent per annum:

Provided that in case the dues are paid within seven days of the due date(s) no interest shall be charged.”

(v) in clause 25, for the word and sign “10%”, the word and sign “7.5%” shall be substituted.

(vi) in Part V, for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:—

“7. Surrender of mining permit:

The permit holder may seek surrender of permit, for whatsoever reasons, by submitting an application subject to the condition that the permit holder:

- (i) has stopped all mining operations in the permit area ;
 (ii) has furnished production returns as required in terms of the permit agreement ;
 (iii) has submitted the No Dues Certificate (NDC) from the officer-in-charge of the district concerned with regards to all pending dues on account of the said permit, till the end of calendar month in which application is submitted; and
 (iv) has deposited an amount equal to one-month permit fee at the rate as may be applicable, at the time of submission of application as non-refundable fee:

Provided that, in case of riverbed mining, if the application for surrender of permit is submitted during the period from 1st June to 15th September, then the permit holder shall be liable to deposit the non-refundable fee equal to two months of permit fee as may be applicable, at the time of submission of application.

- (v) No application for surrender of part area of the permit shall be maintainable.
 (vi) The Director shall pass orders accepting the surrender request within thirty days. In case no decision is communicated the application for surrender shall be deemed to have been accepted on expiry of thirty days of submission of application.”

23. In the said rules, in Form MPS-2, for clause 3, the following clause shall be substituted, namely:-
“3. In case of any default in payment of the instalments of permit money/ contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount would be payable along with interest at the rate of twelve percent per annum:
Provided that in case the dues are paid within seven days of the due date(s) no interest shall be charged.”
24. In the said rules, in Form PIM-2, for clause 9, the following clause shall be substituted, namely:-
“9. The annual amount of royalty shall be paid in advance by 1st April of every year. In case of any default in payment of the instalments of permit money/ contribution to the ‘Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund’ on the due date(s), the amount would be payable along with interest at the rate of twelve percent per annum:
Provided that in case the dues are paid within seven days of the due date(s) no interest shall be charged.”.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.